अमर उजाला

मतदाताओं को बूथ पर मिलेगा नोटिस की सुनवाई का मौका

देहरादून। एसआईआर प्रपत्र में सामने आई विसंगतियों पर जिन 19.04 लाख मतदाताओं को चुनाव आयोग नोटिस भेज रहा है, उन्हें नजदीकी बूथ पर सुनवाई का मौका दिया जाएगा।

वहीं, नोटिस भेजने की प्रक्रिया में अल्मोड़ा जिला अव्वल और टिहरी सबसे फिसड्डी है। बृहस्पतिवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता कर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि एसआईआर के प्रथम चरण पूर्ण होने के बाद प्रदेश में 71,33,785 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची सीईओ कार्यालय की वेबसाइट ceo.uk.gov.in के साथ ही डीईओ, ईआरओ, बीएलओ के स्तर पर भी उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने बताया कि जिन मतदाता की ओर से दर्ज जानकारी में विसंगति पाई गई या जिन्होंने अपनी जानकारी भरते समय अंतिम एसआईआर का मैपिंग संबंधी विवरण नहीं भरा, ऐसे मतदाताओं को बीएलओ के माध्यम से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नोटिस जारी होने के बाद मतदाताओं को उसका जवाब देने के लिए पर्याप्त समय दिया जा रहा है। आयोग ने मतदाता को 13 अगस्त तक फार्म-6, 7 और 8 पर दावे एवं आपत्तियों को दर्ज करने का समय दिया गया है। ब्यूरो

जिलों में नोटिस प्रतिशत

अल्मोड़ा	80.3	पिथौरागढ़	10.5
चंपावत	62.1	देहरादून	9.3
पौड़ी	51.5	यूएस नगर	6.7
चमोली	39.9	रुद्रप्रयाग	5.5
बागेश्वर	37.7	उत्तरकाशी	4.8
नैनीताल	11.6	टिहरी	4.7
हरिद्वार	10.6	स्रोत	आयोग

SCAN AnyScanner

उत्तर उजाला

एसआईआर के दूसरे चरण में जारी नोटिसों की सुनवाई शुरू

मतदाताओं के नजदीकी बूथ स्तर पर नोटिस सुनवाई की व्यवस्था

उत्तर उजाला ब्यूरो

देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के कम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. बीवीआरसी पुरुषोत्तम के नेतृत्व में उत्तराखण्ड में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा.विजय कुमार जोगदंडे ने गुरुवार को मीडिया सेंटर में प्रेस कांफ्रेंस कर विस्तृत जानकारी दी। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एसआईआर के प्रथम चरण पूर्ण होने के बाद प्रदेश में 71,33,785 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं। उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि सभी मतदाता ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम और अन्य जानकारियों को सही से जांच लें। उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची सीईओ कार्यालय की वेबसाइट के साथ ही डीईओ/ईआरओ/बीएलओ के स्तर पर भी उपलब्ध कराई गई हैं।उन्होंने बताया कि जिन मतदाता द्वारा दर्ज जानकारी में विसंगति पाई गई या जिन्होंने अपनी जानकारी भरते समय अन्तिम एसआईआर का मैपिंग सम्बंधी विवरण नहीं भरा ऐसे मतदाताओं को बीएलओ के माध्यम से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नोटिस जारी होने के बाद मतदाताओं को उसका जवाब देने के लिए प्रर्याप्त समय दिया जा रहा है।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. विजय कुमार जोगदंडे ने बताय कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में एईआरओ/ईआरओ द्वारा नोटिस की सुनवाई के लिए बूथ स्तर पर बीएलओ / अन्य अधिकारी उपलब्ध रहेंगे एवं बीएलओ मतदाता के दस्तावेज देखकर रिपोर्ट तैयार करेंगे। मैदानी क्षेत्र के मतदाताओं की सुविधा के लिए बूथ लेवल अथवा बूथ से नजदीकी स्थानों पर कैंप लगाने के भी निर्देश डीईओ/ईआरओ को दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा मतदाता को 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 के बीच फार्म 6,7 और 8 पर दावे एवं आपत्तियों को दर्ज करने का समय दिया गया है। उन्होंने बताया कि 14 जुलाई से 11 सितंबर 2026 तक नोटिस की अवधि एवं दावे आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। यदि कोई मतदाता ईआरओ के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है तो वह दो सप्ताह के भीतर जिलाधिकारी कार्यालय में अपील अपील दर्ज कर सकता है। जिलाधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में लोक प्रतिधित्व अधिनियम के प्रावधान के तहत अपील दर्ज कर सकता है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी जोगदंडे ने बताया कि ऐसे नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में अभी तक शामिल नहीं है, वह फार्म 6 भरकर अपने नाम दर्ज करवाने हेतु ऑफलाइन मोड में अपने सम्बंधित बीएलओ से और ऑनलाइन मोड में ईसीआईनेट ऐप के जरिए आवेदन कर सकते हैं।

इसके साथ ही फार्म 7 और 8 के जरिए नाम हटवाने और नाम में सुधार किया जा सकता है। वर्तमान में फार्म 6 और 8 के साथ एनेक्चर 4 भरना अनिवार्य है।

एसआईआर के चलते कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प यात्रा स्थगित

देहरादून। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेशभर में प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह के संयोजन में आयोजित किये जा रहे "परिवर्तन संकल्प यात्रा" के तहत देहरादून जनपद के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में 2 से 5 अगस्त तक आयोजित "परिवर्तन संकल्प यात्रा" को प्रदेश में चल रही एसआइआर की प्रक्रिया को दृष्टिगत रखते हुए स्थगित कर दिया गया है। यात्रा कार्यक्रम की अगली तिथि दिनांक 10 अगस्त के उपरान्त घोषित की जायेगी। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डा.प्रतिमा सिंह ने बताया कि प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह के संयोजकत्व में परिवर्तन संकल्प यात्रा के दूसरे चरण में 2 से 5 अगस्त 2026 तक देहरादून जिले के विकासनगर, सहसपुर, देहरादून कैन्ट, रायपुर, राजपुर, मसूरी एवं डोईवाला विधानसभा क्षेत्रों में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह, सीडब्लूसी सदस्य करन माहरा, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डा. हरक सिंह रावत चुनाव एवं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापडी के नेतृत्व में परिवर्तन संकल्प यात्रा आयोजित की गई थी। प्रदेश में चल रही एसआइआर की प्रक्रिया के दूसरे चरण को दृष्टिगत रखते हुए परिवर्तन संकल्प यात्रा स्थगित की गई है तथा शीघ्र ही प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेतागणों से विचार विमर्श के उपरान्त परिवर्तन संकल्प यात्रा की दिनांक 10 अगस्त 2026 के उपरान्त नई तिथियों की घोषणा की जायेगी।

AnyScanner

हिन्दुस्तान

बूथ पर ही होगा आपत्ति का समाधान

राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की एसआईआर की प्रगति रिपोर्ट

अभियान

देहरादून, विशेष संवाददाता। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत अनंतिम वोटर लिस्ट पर आपत्तियों की सुनवाई और समाधान बूथ स्तर पर ही होगा। बूथ लेवल ऑफिसर के फैसले से संतुष्ट न होने पर एईआरओ, डीएम और मुख्य निर्वाचन अधिकारी तक अपील की जा सकती है।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय जोगदंडे ने गुरुवार को सचिवालय में एसआईआर की अब तक की प्रगति रिपोर्ट जारी की। उन्होंने कहा कि राज्य में एसआईआर के दौरान 19 लाख से ज्यादा वोटर के नाम, आयु आदि के विभिन्न विवरण में विसंगतियां पाई गई हैं। इन सभी को नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

उन्होंने साफ किया कि सभी की समस्याओं का प्राथमिक स्तर पर बीएलओ द्वारा बूथ पर ही समाधान किया जाएगा। नोटिस के परिप्रेक्ष्य में सभी दस्तावेज और अपने जवाब बूथ पर जमा कराकर वोटर लिस्ट को दुरुस्त कराया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि सभी बूथों पर अनंतिम वोटर लिस्ट उपलब्ध कराई जा चुकी है। ड्राफ्ट वोटर सूची सीईओ कार्यालय की वेबसाइट **www.ceo.uk.gov.in** पर देखी जा सकता है। अंतिम वोटर लिस्ट 15 सितंबर को जारी की जाएगी।

देहरादून में गुरुवार को एसआईआर की जानकारी देते अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय जोगदंडे। साथ में सहायक निर्वाचन अधिकारी मस्तूदास और उपमुख्य निर्वाचन अधिकारी किशन सिंह नेगी। • हिन्दुस्तान

अपील के तीन मौके

बीएलओ के निर्णय से सहमति न होने पर एईआरओ के पास अपील की जा सकती है। एईआरओ के फैसले के खिलाफ 15 दिन में डीएम कार्यालय में अपील की जा सकेगी। यहां भी सहमति नहीं बनती है, तो 30 दिन में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में अपील करनी होगी। सभी स्तर पर एक सप्ताह में अपील पर निर्णय करना होगा।

नाम जुड़वा सकेंगे लोग

लोग 13 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। नया नाम जुड़वाने के लिए फार्म-6, त्रुटि सुधार के लिए फार्म-8 भरकर बीएलओ को देना होगा। मालूम हो कि, एसआईआर के बाद 14 जुलाई को जारी अनंतिम वोटर लिस्ट के अनुसार राज्य में फिलहाल 71 लाख 33 हजार 785 वोटर हैं। इनमें अनमैप वोटर की संख्या करीब 5.26 लाख है।

"नोटिस की सुनवाई के लिए बूथ स्तर पर बीएलओ अन्य अधिकारी उपलब्ध रहेंगे। बीएलओ मतदाता के दस्तावेज देखकर रिपोर्ट तैयार करेंगे। मैदानी क्षेत्र के मतदाताओं की सुविधा के लिए बूथ लेवल अथवा बूथ से नजदीकी स्थानों पर कैंप लगाने के भी निर्देश डीईओ और ईआरओ को दिए गए हैं।

-डा. विजय कुमार जोगदंडे, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी

14 दिन में देने हैं 20 लाख नोटिस, लेनी हैं आपत्तियां

चुनौती

देहरादून, विशेष संवाददाता। वोटर लिस्ट की विसंगतियों को दूर करने के लिए शुरू हुए एसआईआर के दूसरे चरण में नौ जिलों में कार्रवाई काफी धीमी है। इन जिलों में 4.7 प्रतिशत से लेकर अधिकतम 39.9 प्रतिशत वोटर को ही नोटिस जारी हो पाए हैं।

सवाल यह है कि आपत्तियां और सुझाव 13 अगस्त तक लिए जाने हैं और विभाग के पास अब कुल मिलाकर 14 दिन का वक्त ही बाकी है। इन 14 दिन के भीतर 20 लाख से ज्यादा वोटर को नोटिस देकर उनके दावे और आपत्तियां भी लेनी हैं। विवरण विसंगति वाले 19 लाख और अनमैप 5.25 लाख वोटर समेत 24.29 लाख वोटर में अब तक केवल चार लाख को ही नोटिस जारी हो पाए हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि नोटिस जारी करने की प्रक्रिया को अभियान की तरह चलाने के निर्देश दिए जा रहे हैं।

मालूम हो कि अल्मोड़ा, चंपावत और पौड़ी में सबसे तेजी से नोटिस दिए जा रहे हैं। जबकि रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी सबसे पीछे हैं। हैरानी की बात यह भी है कि देहरादून, हरिद्वार, यूएसनगर और नैनीताल जैसे अपेक्षाकृत सुगम जिलों में भी नोटिस जारी करने की गति बेहद धीमी है।

जारी किए गए नोटिस

जिला	नोटिस	जिला	नोटिस
अल्मोड़ा	80.3	पिथौरागढ़	10.5
चंपावत	62.1	देहरादून	9.3
पौड़ी	51.5	यूएसनगर	6.7
चमोली	39.9	रूद्रप्रयाग	5.5
बागेश्वर	37.7	उत्तरकाशी	4.8
नैनीताल	11.6	टिहरी	4.7
हरिद्वार	10.6	आंकड़े प्रतिशत मे	

ये प्रमाणपत्र मान्य

सरकार, पीएसयू कर्मचारी-पेंशनर को जारी पहचान या पेंशन भुगतान पत्र, एक जुलाई 1987 से पहले सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, एलआईसी, पीएसयू द्वारा जारी पहचान या प्रमाणपत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड, विवि से हाईस्कूल, शैक्षिक प्रमाणपत्र, सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाणपत्र, वन अधिकार प्रमाणपत्र, ओबीसी, एससी, एसटी प्रमाणपत्र, राष्ट्रीय परिवार रजिस्टर, राज्य का सरकारी परिवार रजिस्टर, सरकार से जारी भूमि या मकान आवंटन का प्रमाणपत्र।

AnyScanner

दैनिक भास्कर

एसआई के दूसरे चरण में जारी नोटिसों की सुनवाई शुरु

• मतदाताओं के नजदीकी बूथ स्तर पर नोटिस सुनवाई की व्यवस्था

भास्कर समाचार सेवा

मीडिया सेंटर में पत्रकारों से वार्ता करते एईआरओ डॉ विजय कुमार जोगदंडे।

देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्देशों के क्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम के नेतृत्व में उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने गुरुवार को मीडिया सेंटर में प्रेस कांफ्रेंस कर विस्तृत जानकारी दी। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एसआईआर के प्रथम चरण पूर्ण होने के बाद प्रदेश में 71,33,785 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं। उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि सभी मतदाता ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम और अन्य जानकारियों को सही से जांच लें। उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची सीईओ कार्यालय की वेबसाइट के साथ ही डीईओ, ईआरओ, बीएलओ के स्तर पर भी उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने बताया कि जिन मतदाता द्वारा दर्ज जानकारी में विसंगति पाई गई या जिन्होंने अपनी जानकारी भरते समय अन्तिम एसआईआर का मैपिंग सम्बंधी विवरण नहीं भरा ऐसे मतदाताओं को बीएलओ के माध्यम से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नोटिस जारी होने के बाद मतदाताओं को उसका जवाब देने के लिए प्रर्याप्त समय दिया जा रहा है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने बताय कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में एईआरओ व ईआरओ द्वारा नोटिस की सुनवाई के लिए बूथ स्तर पर बीएलओ व अन्य अधिकारी उपलब्ध रहेंगे एवं बीएलओ मतदाता के दस्तावेज देखकर रिपोर्ट तैयार करेंगे। मैदानी क्षेत्र के मतदाताओं की सुविधा के लिए बूथ लेवल अथवा बूथ से नजदीकी स्थानों पर कैंप लगाने के भी निर्देश डीईओ व ईआरओ को दिए गए हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग द्वारा मतदाता को 14 जुलाई से 13 अगस्त के बीच फार्म 6,7 और 8 पर दावे एवं आपत्तियों को दर्ज करने का समय दिया गया है। उन्होंने बताया कि 14 जुलाई से 11 सितंबर तक नोटिस की अवधि एवं दावे आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। यदि कोई मतदाता ईआरओ के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है तो वह दो सप्ताह के भीतर जिलाधिकारी कार्यालय में अपील अपील दर्ज कर सकता है। जिलाधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में लोक प्रतिधित्व अधिनियम के प्रावधान के तहत अपील दर्ज कर सकता है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि ऐसे नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में अभी तक शामिल नहीं है, वह फार्म 6 भरकर अपने नाम दर्ज करवाने हेतु ऑफलाइन मोड में अपने सम्बंधित बीएलओ से और ऑनलाइन मोड में ईसीआईनेट ऐप के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही फार्म 7 आरै 8 के जरिए नाम हटवाने और नाम में सुधार किया जा सकता है।

SCAN AnyScanner

दैनिक जागरण

निर्णय से असंतुष्ट मतदाताओं को मिलेगा अपील का अधिकार

राज्य ब्यूरो, जागरण • देहरादून: उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के दूसरे चरण के तहत मतदाता सूची से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और मतदाताओं की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने अपील की स्पष्ट व्यवस्था की है। बूथ स्तर पर नोटिस की सुनवाई शुरू हो गई है और यदि कोई मतदाता दावे व आपत्तियों के बाद निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है तो उसे अपील का अधिकार मिलेगा। इसके लिए उसे पहले जिलाधिकारी और उसके बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील करने का अधिकार मिलेगा।

जानकारी देते अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा विजय कुमार जोगदंडे • सूवि

सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में गुरुवार को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी देते हुए अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि प्रथम चरण पूरा होने के बाद प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची में 71,33,785 मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं के विवरण में विसंगति पाई गई है या जिन्होंने आवश्यक जानकारी पूरी नहीं भरी है, ऐसे 24 लाख से अधिक मतदाताओं को बीएलओ के माध्यम से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नोटिस मिलने के बाद संबंधित मतदाताओं को अपना पक्ष रखने और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। सभी विधानसभा क्षेत्रों में एईआरओ और ईआरओ की देखरेख में बूथ स्तर पर ही सुनवाई की व्यवस्था की गई है। मैदानी क्षेत्रों में सुविधा के लिए बूथ अथवा उसके निकट विशेष शिविर भी लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आयोग ने 14 जुलाई से 13 अगस्त तक फार्म-6, फार्म-7 और और फार्म- 8 के माध्यम से दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया है, जबकि 14 जुलाई से 11 सितंबर तक निस्तारण किया जाएगा। असंतुष्ट मतदाता दो सप्ताह में डीएम कार्यालय में अपील कर सकेंगे। यदि मतदाता डीएम के निर्णय से संतुष्टि नहीं होता तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रविधानों के तहत मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में अपील की जा सकेगी।

AnyScanner

शाह टाइम्स

एसआईआर के दूसरे चरण में जारी नोटिसों की सुनवाई शुरु

- मतदाताओं के नजदीकी बूथ स्तर पर नोटिस सुनवाई की व्यवस्था
- एसआईआर के प्रथम चरण पूर्ण होने के बाद प्रदेश में 71,33,785 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किए गए

मुख्य संवाददाता शाह टाइम्स

देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के कम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम के नेतृत्व में उत्तराखण्ड में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है।

इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने गुरुवार को मीडिया सेंटर में प्रेस कांफ्रेंस कर विस्तृत जानकारी दी। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एसआईआर के प्रथम चरण पूर्ण होने के बाद प्रदेश में 71,33,785 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं। उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि सभी मतदाता ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम और अन्य जानकारियों को सही से जांच लें। उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची सीईओ कार्यालय की वेबसाइट के साथ ही डीईओ / ईआरओ/बीएलओ के स्तर पर भी उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने बताया कि जिन मतदाता द्वारा दर्ज जानकारी में बिसंगति पाई गई या जिन्होंने अपनी जानकारी भरते समय अन्तिम एसआईआर का मैपिंग सम्बंधी विवरण नहीं भरा ऐसे मतदाताओं को बीएलओ के माध्यम से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नोटिस जारी होने के बाद मतदाताओं को उसका जवाब देने के लिए प्रर्याप्त समय दिया जा रहा है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने बताय कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में एईआरओ/ईआरओ द्वारा नोटिस की सुनवाई के लिए बूथ स्तर पर बीएलओ / अन्य अधिकारी उपलब्ध रहेंगे एवं बीएलओ मतदाता के दस्तावेज देखकर रिपोर्ट तैयार करेंगे। मैदानी क्षेत्र के मतदाताओं की सुविधा के लिए बूथ लेवल अथवा बूथ से नजदीकी स्थानों पर कैंप लगाने के भी निर्देश डीईओ / ईआरओ को दिए गए हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग द्वारा मतदाता को 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 के बीच फार्म 6,7 और 8 पर दावे एवं आपत्तियों को दर्ज करने का समय दिया गया है। उन्होंने बताया कि 14 जुलाई से 11 सितंबर 2026 तक नोटिस की अवधि एवं दावे आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। यदि कोई मतदाता ईआरओ के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है तो वह दो सप्ताह के भीतर जिलाधिकारी कार्यालय में अपील अपील दर्ज कर सकता है। जिलाधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में लोक प्रतिधित्व अधिनियम के प्रावधान के तहत अपील दर्ज कर सकता है।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि ऐसे नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में अभी तक शामिल नहीं है, वह फार्म 6 भरकर अपने नाम दर्ज करवाने हेतु ऑफलाइन मोड में अपने सम्बंधित बीएलओ से और ऑनलाइन मोड में ईसीआईनेट ऐप के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही फार्म 7 आरै 8 के जरिए नाम हटवाने और नाम में सुधार किया जा सकता है। वर्तमान में फार्म 6 और 8 के साथ एनेक्चर 4 भरना अनिवार्य है।

SCAN AnyScanner

The Pioneer

SIR: ECI starts delivering notices to voters with anomaly in U'khand

PIONEER NEWS SERVICE ■ Dehradun

The Election Commission of India has started the process of delivery of notices to the voters with anomalies in the second phase of Special Intensive Revision (SIR) of the electoral rolls in the State. The commission has issued notices to more than 24 lakh voters (both mapped and unmapped) and has so far delivered notices to 4,07,687 out of them.

Interacting with the media on Thursday, the additional chief electoral officer (ACEO), Vijay Kumar Jogdande said the names of 71,33,785 voters have been included in the draft voter list in the State. He appealed to the voters to check their names and other information in the draft voter list.

He informed that the draft voter list has been made available on the CEO office website www.ceo.uk.gov.in as well as at the DEO/ERO/BLO level. The ACEO said that voters whose information was found to be discrepant or who did not include details regarding the mapping of the last SIR when filling out their information are being issued notices through BLOs. After the notices are issued, voters are given sufficient time to respond to them.

Jogdande stated that in all assembly constituencies, BLOs and other officials will be available at the booth level to hear notices issued by electoral registration officers (ERO) and assistant electoral registration officers (AERO). The BLOs will prepare a report after reviewing the voter's documents. He added that EROs have also been instructed to set up camps at the booth level or in locations near the booths for the convenience of voters. The ACEO informed that the commission has given time to the voters to file claims and objections on Forms VI, VII and VIII between July 14 and August 13.

He informed that the notice period and disposal of claims and objections will be from July 14 to September 11, 2026. The voters can file an appeal in the District Magistrate's office within two weeks if unsatisfied with the decision of ERO. In case of dissatisfaction with the decision of the DM, the voter can further file an appeal to the CEO under the provisions of the Representation of the People Act.

AnyScanner

Hindustan Times

Over 2.4 mn notices sent to voters in SIR

HT Correspondent

letters@hindustantimes.com

DEHRADUN: Election authorities in Uttarakhand have issued more than 2.429 million notices to voters as part of the Special Intensive Revision (SIR) 2026 exercise aimed at updating the state's electoral rolls and addressing discrepancies detected during the enumeration process, according to data released by the authorities on Thursday.

The exercise is being carried out across all 70 assembly constituencies in the state. Official figures show that 24,29,877 notices have been generated so far, of which 4,07,687 notices, or 16.8%, had been delivered to electors by July 30.

The notices have been issued to address discrepancies detected during the enumeration process. These include cases where the age difference between electors and their parents is less than 15 years or more than 50 years, discrepancies involving grandparents, sibling age gaps of less than nine months, records showing more than six children linked to a voter, errors in names of electors or their relatives, and voters who remained unmapped in the previous electoral roll.

Among districts, Almora district recorded the highest delivery rate, with 79,110 notices delivered out of 98,529 issued, achieving an efficiency rate of 80.3%. Champawat followed with a delivery rate of 62.1%, while Pauri Garhwal recorded 51.5%.

Tehri Garhwal and Uttarkashi reported delivery rates of 4.7% and 4.8%, respectively. Rudraprayag also recorded delivery rate of 5.5%.

Dehradun accounted for the highest number of notices issued at 5,47,970, followed by Haridwar with 482,659 and Udham Singh Nagar with 446,615 notices.

Additional CEO Dr Vijay Kumar Jogdande in Dehradun on Thursday. PTI

Voters who receive notices are required to submit Aadhaar along with one of 11 approved documents, including birth certificates, passports, educational certificates, permanent resident certificates, caste certificates, family registers and land or house allotment documents. Electors can also contact their Booth Level Officers (BLOs) and seek clarifications through the "Book a Call with BLO" feature available on the ECI-NET mobile application and the voters' portal.

Hearings for notices issued under the second phase of the SIR of electoral rolls have begun across Uttarakhand, with election authorities making arrangements for voters to attend hearings at booths and nearby locations.

Addressing a press conference at the media centre here on Thursday, additional chief electoral officer Dr Vijay Kumar Jogdande said that the second phase of the SIR programme had commenced in the state under the directions of the Election Commission of India and the leadership of chief electoral officer Dr BVRC Purushottam.

He said that after the completion of the first phase of the exercise, the names of 71,33,785 voters had been included in the draft electoral roll.

AnyScanner

Garhwal Post

Booth-Level hearings begin in U'khand during second phase of SIR

Garhwal Post Bureau

DEHRADUN, 30 Jul: The second phase of the Special Intensive Revision (SIR) of the electoral rolls has officially begun in Uttarakhand in accordance with the directions of the Election Commission of India. The launch of the second phase of SIR was announced Additional Chief Electoral Officer (ACEO) Dr Vijay Kumar Jogdande during a press conference here today. Jogdande stated that arrangements have been made to conduct hearings on notices issued during the exercise at booth level to ensure maximum convenience for voters.

Jogdande reminded that the first phase of the Special Intensive Revision had been completed under the leadership of Chief Electoral Officer Dr BVRC Purushottam. Following the completion of the first phase, the names of 71,33,785 electors had been included in the draft electoral roll for the state.

The ACEO appealed to all the voters to carefully verify their names and other particulars in the draft electoral roll and ensure that all their details are accurate. The draft electoral roll has been made available on the Chief Electoral Officer's website, besides being accessible through the offices of the District Election Officers (DEOs), Electoral Registration Officers (EROs) and Booth Level Officers (BLOs).

Dr Jogdande said that the notices are being issued through the BLOs to those voters whose submitted information contains discrepancies or who had not furnished the required details relating to the mapping of the previous phase of the SIR while filling in their particulars. He said adequate time is being provided to such voters to submit their replies after receiving the notices.

To facilitate the hearing process, Assistant Electoral Registration Officers (AEROs) and Electoral Registration Officers in all Assembly constituencies have been directed to ensure the availability of BLOs and other designated officials at the booth level. The BLOs would examine the documents produced by voters and prepare their reports accordingly. He added that District Election Officers (DEOs) and Electoral Registration Officers (EROs) have also been instructed to organise camps either at polling booths or at nearby locations in the plains to make it easier for voters to participate in the process.

The Additional Chief Electoral Officer said the Election Commission has provided the voters time period from 14 July to 13 August, 2026, to file claims and objections through Forms 6, 7 and 8. He said that notices will remain in force and claims and objections will be disposed of between 14 July and 11 September, 2026.

He further explained that any elector dissatisfied with the decision of the Electoral Registration Officer may file an appeal before the DM concerned within two weeks. If the appellant is not satisfied with the decision of the DM, a further appeal may be filed before the office of the Chief Electoral Officer under the provisions of the Representation of the People Act.

Dr Jogdande also said that eligible citizens whose names are not yet included in the electoral roll can apply for enrolment by submitting Form 6. Applications may be submitted offline through the concerned Booth Level Officer or online through the ECINet application. He added that Forms 7 and 8 may be used for deletion of names and correction of electoral details respectively. At present, it is mandatory to submit Annexure 4 along with Forms 6 and 8.

AnyScanner

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
Chief Electoral Officer, Uttarakhand

विश्वकर्मा भवन प्रथम तल, सचिवालय परिसर देहरादून 248001

अमर उजाला

उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू, बिहार से पहुंचीं ईवीएम

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने तैयार किया प्लानर

आफताब अजमत

तीन साल से जमे अफसर हटेंगे

प्रदेशभर में तीन साल से जो भी आईएएस, पीसीएस या चुनाव ड्यूटी से संबंधित अधिकारी एक ही जगह जमे हैं, वह सभी जल्द ही हट जाएंगे। इसके लिए चुनाव आयोग से राज्य को जल्द ही पत्र आने वाला है। यह तबादले इसलिए चुनाव से करीब छह माह पूर्व पूरी की जाती है ताकि आने वाले नए अधिकारी चुनाव संबंधी सभी प्रशिक्षण में शामिल हो सकें।

देहरादून। प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बीच आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पहले से उपलब्ध ईवीएम के अलावा बिहार से 2500 बैलेट यूनिट, 6000 वीवीपैट और 12,500 कंट्रोल यूनिट पहुंच चुकी हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने प्लानर तैयार कर लिया है। इस हिसाब से अगले महीने डीईओ, आरओ व अन्य अधिकारियों का पांच दिवसीय प्रशिक्षण होगा। प्रदेश में जिलावार चुनाव के लिए ईवीएम की तैयारी की जा रही है। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद उपलब्धता देखें तो राज्य में 25,697 वीवीपैट, 27,700 बैलेट यूनिट और 36,553 कंट्रोल यूनिट उपलब्ध हैं। बिहार से मंगाई गई ईवीएम को जिलावार भेज दिया गया है। चुनाव आयोग के प्लानर के हिसाब से सितंबर-अक्तूबर में इन सभी ईवीएम की प्रथम स्तर की जांच प्रदेशभर में की जाएगी। जिन मशीनों में खराबी होगी, उन्हें पहले ही पूरी प्रक्रिया से अलग कर दिया जाएगा। इसके बाद बची हुई ईवीएम को स्ट्रांग रूम में सहेजकर रखी दी जाएंगी। चुनाव आयोग सितंबर-अक्तूबर में चुनाव पूर्व तैयारियों के तहत सभी जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अफसर के साथ ही राजनीतिक दलों व अन्य सेल का प्रशिक्षण भी शुरू हो जाएगा। साथ ही जिलावार व्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं चुनावी भागीदारी बढ़ाने का प्लान भी तैयार हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक, चुनाव की तैयारियां प्लानर के हिसाब से तेज कर दी गई हैं। जल्द ही चुनाव के लिए पावर पैक, सील्स, टैग्स आदि की खरीद प्रक्रिया भी शुरू होने जा रही है।

AnyScanner

नवोदय टाइम्स

मतदाता सूची पुनरीक्षण तेज 5.47 लाख मतदाताओं को नोटिस

3 अगस्त से लगेंगे विशेष सुनवाई शिविर, 11 सितंबर तक आपत्तियों का निस्तारण

- हर बूथ पर पारदर्शी होगी मतदाता सूची की जांच 10 ईआरओ और 222 एईआरओ तैनात
- 15 सितंबर को प्रकाशित होगी फाइनल निर्वाचक नामावली

अधिकारियों के साथ बैठक करते जिलाधिकारी।

देहरादून, 30 जुलाई (नवोदय टाइम्स) : जनपद में मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान ने गति पकड़ ली है। गुरुवार को ऋषिपर्णा सभागार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने अभियान की प्रगति साझा की और सभी दलों से इसमें सक्रिय सहयोग की अपील की। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 14 जुलाई को प्रकाशित ड्राफ्ट रोल के अनुसार जिले में अब तक 11,90,805 मतदाताओं की मैपिंग पूरी की जा चुकी है। हालांकि, वर्ष 2003 और 2026 की मतदाता सूचियों के मिलान में विसंगतियां, अपूर्ण विवरण या डेटा का सही मिलान न हो पाने के कारण 5.47 लाख मतदाताओं को व्यक्तिगत नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अभियान की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बूथ लेवल ऑफिसर घर-घर जाकर नोटिस तामील करवा रहे हैं और निर्वाचन आयोग के निर्धारित ऐप पर फोटो अपलोड कर रहे हैं। 30 जुलाई तक 74 हजार नोटिस बांटे जा चुके हैं, जबकि आगामी दो से तीन दिनों में शेष सभी नोटिस वितरित कर दिए जाएंगे।

3 से 29 अगस्त तक लगेंगे बूथवार शिविर

प्राप्त नोटिसों के आधार पर विवरण सुधारने और आपत्तियों के निस्तारण के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की देखरेख में 03 अगस्त से 29 अगस्त तक बूथवार सुनवाई शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान पात्र नए मतदाताओं से फार्म-6 भी स्वीकार किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि विवरण सुधार के लिए नागरिकों को 11 सितंबर तक पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। इसी दिन सभी दावों और आपत्तियों का अंतिम निस्तारण कर मतदाता सूची को फ्रीज कर दिया जाएगा। तत्पश्चात, 15 सितंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। जिले की 10 विधानसभाओं में कुल 2045 बूथ बनाए गए हैं। प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए 10 मतदाता पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) और 222 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ) तैनात किए गए हैं। जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से हर बूथ पर अपने बूथ लेवल एजेंट-2 तैनात करने का अनुरोध किया, ताकि प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे। इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने नोटिस प्राप्त नागरिकों की सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, जिस पर विचार का आश्वासन दिया गया। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिनव शाह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र प्रसाद देवली समेत कांग्रेस से डॉ. जसविंदर सिंह व सुनील जायसवाल, भाजपा से महेश गुप्ता, बसपा से सत्येंद्र चोपड़ा और आप पार्टी से कमल राणा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।

AnyScanner

दैनिक भास्कर

दून में 5.47 लाख मतदाताओं को नोटिस

• 3 अगस्त से लगेंगे शिविर, 11 सितंबर तक आपत्तियों का निस्तारण

भास्कर समाचार सेवा

देहरादून। जनपद में मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान ने गति पकड़ ली है। गुरुवार को ऋषिपर्णा सभागार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने अभियान की प्रगति साझा की।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 14 जुलाई को प्रकाशित ड्राफ्ट रोल के अनुसार जिले में अब तक 11,90,805 मतदाताओं की मैपिंग पूरी की जा चुकी है। हालांकि, वर्ष 2003 और 2026 की मतदाता सूचियों के मिलान में विसंगतियां, अपूर्ण विवरण या डेटा का सही मिलान न हो पाने के कारण 5.47 लाख मतदाताओं को व्यक्तिगत नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अभियान की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बूथ लेवल ऑफिसर घर-घर जाकर नोटिस तामील करवा रहे हैं और निर्वाचन आयोग के निर्धारित ऐप पर फोटो अपलोड कर रहे हैं।

गुरूवार तक 74 हजार नोटिस बांटे जा चुके हैं, जबकि आगामी दो से तीन दिनों में शेष सभी नोटिस वितरित कर दिए जाएंगे। प्राप्त नोटिसों के आधार पर विवरण सुधारने और आपत्तियों के निस्तारण के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की देखरेख में 3 अगस्त से 29 अगस्त तक बूथवार सुनवाई शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान पात्र नए मतदाताओं से फार्म-6 भी स्वीकार किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि विवरण सुधार के लिए नागरिकों को 11 सितंबर तक पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। इसी दिन सभी दावों और आपत्तियों का अंतिम निस्तारण कर मतदाता सूची को फ्रीज कर दिया जाएगा। तत्पश्चात, 15 सितंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिनव शाह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र प्रसाद देवली समेत कांग्रेस से डॉ. जसविंदर सिंह व सुनील जायसवाल, भाजपा से महेश गुप्ता, बसपा से सत्येंद्र चोपड़ा और आप पार्टी से कमल राणा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।

AnyScanner

अमर उजाला

5.47 लाख मतदाताओं को भेजेंगे नोटिस

एसआईआर : विसंगतियां, अपूर्ण विवरण, मिलान न होने के कारण भेजे जा रहे नोटिस

माई सिटी रिपोर्टर

देहरादून। जिले की मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के लिए जिले में 5.47 लाख मतदाताओं को एसआईआर के तहत नोटिस भेजे जा रहे हैं। अब तक इनमें से 74 हजार मतदाताओं को व्यक्तिगत रूप से नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तीन अगस्त से 29 अगस्त तक विशेष सुनवाई शिविरों का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में साझा की।

जिलाधिकारी ने बैठक में कहा कि जनपद में मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान ने गति पकड़ ली है।

डीएम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की समीक्षा

14 जुलाई को प्रकाशित ड्राफ्ट रोल के अनुसार जिले में अब तक 11,90,805 मतदाताओं की मैपिंग पूरी की जा चुकी है। हालांकि वर्ष 2003 और 2026 की मतदाता सूचियों के मिलान में विसंगतियां, अपूर्ण विवरण या डेटा का सही मिलान न हो पाने के कारण 5.47 लाख मतदाताओं को व्यक्तिगत नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अभियान की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बूथ लेवल ऑफिसर घर-घर जाकर नोटिस तामील करवा रहे हैं और निर्वाचन आयोग के निर्धारित एप पर फोटो अपलोड कर रहे हैं।

अब तक 74 हजार नोटिस बांटे जा चुके हैं, जबकि दो से तीन दिनों में शेष सभी नोटिस वितरित कर दिए जाएंगे। नोटिसों के आधार पर विवरण सुधारने और आपत्तियों के निस्तारण के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की देखरेख में तीन अगस्त से 29 अगस्त तक बूथवार सुनवाई शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान पात्र नए मतदाताओं से फार्म-6 भी स्वीकार किए जाएंगे।

जिलाधिकारी कहा कि नागरिकों को 11 सितंबर तक पर्याप्त अवसर दिया जाएगा।

SCAN AnyScanner

शाह टाइम्स

देहरादून में मतदाता सूची पुनरीक्षण तेज

5.47 लाख मतदाताओं को नोटिस

शाह टाइम्स संवाददाता

देहरादून। जनपद में मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान ने गति पकड़ ली है। गुरुवार को ऋषिपर्णा सभागार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने अभियान की प्रगति साझा की और सभी दलों से इसमें सक्रिय सहयोग की अपील की।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 14 जुलाई को प्रकाशित ड्राफ्ट रोल के अनुसार जिले में अब तक 11,90,805 मतदाताओं की मैपिंग पूरी की जा चुकी है। हालांकि, वर्ष 2003 और 2026 की मतदाता सूचियों के मिलान में विसंगतियां, अपूर्ण विवरण या डेटा का सही मिलान न हो पाने के कारण 5.47 लाख मतदाताओं को व्यक्तिगत

नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अभियान की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बूथ लेवल ऑफिसर घर-घर जाकर नोटिस तामील करवा रहे हैं और निर्वाचन आयोग के निर्धारित ऐप पर फोटो अपलोड कर रहे हैं। 30 जुलाई तक 74 हजार नोटिस बांटे जा चुके हैं, जबकि आगामी दो से तीन दिनों में शेष सभी नोटिस वितरित कर दिए जाएंगे।

03 से 29 अगस्त तक लगेंगे बूथवार शिविर

प्राप्त नोटिसों के आधार पर विवरण सुधारने और आपत्तियों के निस्तारण के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की देखरेख में 03 अगस्त से 29 अगस्त तक बूथवार सुनवाई शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान पात्र नए मतदाताओं से फार्म-6 भी स्वीकार किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि विवरण सुधार के लिए नागरिकों को 11 सितंबर तक पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। इसी दिन सभी दावों और आपत्तियों का अंतिम निस्तारण कर मतदाता सूची को फ्रीज कर दिया जाएगा। तत्पश्चात, 15 सितंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

10 विधानसभा क्षेत्रों में 2045 मतदेय स्थल गठित

जिले की 10 विधानसभाओं में कुल 2045 बूथ बनाए गए हैं। प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए 10 मतदाता पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) और 222 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ) तैनात किए गए हैं।

बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिनव शाह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र प्रसाद देवली समेत कांग्रेस से डॉ. जसविंदर सिंह व सुनील जायसवाल, भाजपा से महेश गुप्ता, बसपा से सत्येंद्र चोपड़ा और आप पार्टी से कमल राणा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।

AnyScanner

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
Chief Electoral Officer, Uttarakhand

विश्वकर्मा भवन प्रथम तल, सचिवालय परिसर देहरादून 248001

हिन्दुस्तान

मतदाता सुनवाई शिविर तीन अगस्त से शुरू किए जाएंगे

देहरादून। दून में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है। वर्ष 2003 और 2026 की मतदाता सूची के मिलान में सामने आई विसंगतियों के चलते अब तक 5.47 लाख मतदाताओं में से 74 हजार लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। शेष नोटिस भी जल्द वितरित कर दिए जाएंगे।

वहीं, 3 अगस्त से विशेष सुनवाई शिविर शुरू होंगे, जहां मतदाता अपने विवरण में सुधार करा सकेंगे। गुरुवार को ऋषिपर्णा सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में डीएम एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने इस अभियान की जानकारी दी।

AnyScanner